निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 25 **पटना, बुधवार, 31 ज्येष्ठ 1945 (श0) / 21 जून 2023 (ई0)**

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1– नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-4**
भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4–बिहार अधिनियम	---
भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9–विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**5-6**
पूरक	---
पूरक-क	**7-11**

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

14 जून 2023

सं0 04/STA-(विविध)–30/2016(खण्ड),परि0–4547––मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68 की उपधारा–(3)(c-a) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या–836, दिनांक–05.02.2018, अधिसूचना संख्या–709, दिनांक 23.01.2019, अधिसूचना संख्या–8961, दिनांक–31.12.2020, अधिसूचना संख्या–860, दिनांक–08.02.2021, अधिसूचना संख्या–5281, दिनांक–25.08.2021, अधिसूचना संख्या–6447, दिनांक–11.10.2021, अधिसूचना संख्या–1274, दिनांक–24.02.2022, अधिसूचना संख्या–1459, दिनांक–02.03.2022, अधिसूचना संख्या–376, दिनांक–20.01.2023 एवं अधिसूचना संख्या–413, दिनांक 23.01.2023 द्वारा अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

अधिसूचना संख्या–836, दिनांक–05.02.2018 की कंडिका–2 के आलोक में पूर्व में अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों के अतिरिक्त अनुलग्नक–क(x) के रूप में कुल 04 (चार) नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित करते हुए सम्मिलित किया जाता है।

शेष यथावत रहेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0)/अस्पष्ट, उप–सचिव।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68(3)(c-a) के अनुपालन में चिन्हित किये गये अतिरिक्त अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की सूची :–

क्र0	रूट कोड	अप ट्रीप मार्ग का नाम	अप ट्रीप मार्ग का भाया	डाउन ट्रीप मार्ग का नाम	डाउन ट्रीप मार्ग का भाया	मार्ग की दूरी (कि0मी0)	अभियुक्ति
1	**5468**	एयरपोर्ट पटना से पाटलीपुत्रा बस टर्मिनल(ISBT)	हज भवन, सचिवालय, करबिगहिया, राजेन्द्र नगर टर्मिनल, भुतनाथ रोड, एन0एम0सी0एच0 धनकी मोड़, जीरो माईल	पाटलीपुत्रा बस टर्मिनल(ISBT) से एयरपोर्ट पटना	जीरो माईल, एन0एम0सी0एच0 धनकी मोड़, भुतनाथ रोड, राजेन्द्र नगर टर्मिनल, करबिगहिया, सचिवालय, हज भवन,	16	पटना आर0टी0ए0
2	**5469**	गांधी मैदान पटना से पाटलीपुत्रा बस टर्मिनल(ISBT)	पटना जंक्शन, राजेन्द्र नगर टर्मिनल, धनकी मोड़, जीरो माईल	पाटलीपुत्रा बस टर्मिनल(ISBT) से गांधी मैदान पटना	जीरो माईल, धनकी मोड़, राजेन्द्र नगर टर्मिनल, पटना जंक्शन,	15	पटना आर0टी0ए0
3	**5470**	दानापुर रे0स्टे0 से पाटलीपुत्रा बस टर्मिनल(ISBT)	सगुना मोड़, गोला रोड, पाटलीपुत्रा स्टे0 मोड़, जगदेवपथ, आशियाना नगर, चिड़ियाघर, इनकमटैक्स, पटना जंक्शन, राजेन्द्र नगर टर्मिनल, धनकी मोड़, जीरो माईल	पाटलीपुत्रा बस टर्मिनल(ISBT) से दानापुर रे0स्टे0	जीरो माईल, धनकी मोड़, राजेन्द्र नगर टर्मिनल, पटना जंक्शन, इनकमटैक्स, चिड़ियाघर, आशियाना नगर, जगदेवपथ, पाटलीपुत्रा स्टे0 मोड़, गोला रोड, सगुना मोड़,	31	पटना आर0टी0ए0

4	**5471**	एम्स हॉस्पीटल से पाटलीपुत्रा बस टर्मिनल(ISBT)	फुलवारी, अनिसाबाद, चितकोहरा, पुरानी सचिवालय, करबिगहिया, राजेन्द्र नगर टर्मिनल, धनकी मोड़, जीरो माईल	पाटलीपुत्रा बस टर्मिनल(ISBT) से एम्स हॉस्पीटल	जीरो माईल, धनकी मोड़, राजेन्द्र नगर टर्मिनल, करबिगहिया, पुरानी सचिवालय, चितकोहरा, अनिसाबाद, फुलवारी,	26	पटना आर0टी0ए0

(ह0)/अस्पष्ट, उप–सचिव।

Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya

Office Orders

The 9th June 2023

No. XI-C-रा0-07/2019–2437—In the light of proposal received from District Magistrate, Nawada vide letter no.-160, dated 17.05.2023 the power of certificate officer has been delegated to following officer for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
1	Sri Rajeev Kumar	SDC, Nawada	District Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 05.06.2023

By Order,

(Sd.) Illegible, Secretary to Commissioner.

The 13th June 2023

No. XI-K-रा0-02/2023–2503—In the light of proposal received from District Magistrate, Nawada vide letter no.-181, dated- 27.05.2023 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases related to PM Awas Yojana (Rural) u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
1	Sri Niraj Kumar	BDO, Pakribarawan	Pakribarawan Block Level
2	Sri Anjani Kumar	BDO, Nawada Sadar	Nawada Sadar Block Level
3	Sri Mritunjay Kumar	BDO, Akbarpur	Akbarpur Block Level
4	Sri Niraj Kumar Rai	BDO, Govindpur	Govindpur Block Level
5	Sri Anil Mistri	BDO, Rajauli	Rajauli Block Level
6	Sri Rajesh Kumar Dinkar	BDO, Sirdalla	Sildalla Block Level
7	Sri Sunil Kumar Chand	BDO, Kauakol	Kauakol Block Level
8	Sri Baiju Kumar Mishra	BDO, Narhat	Narhat Block Level
9	Sri Kumar Ashwani	BDO, Roh	Roh Block Level
10	Sri Ranjeet Kumar	BDO, Nardiganj	Nardiganj Block Level
11	Sri Pankaj Kumar	BDO, Warisliganj	Warisliganj Block Level
12	Sri Ravi Ji	BDO, Kashichak	Kashichak Block Level

13	Sri Ritesh Kumar	BDO, Hisua	Hisua Block Level
14	Sri Duniya Lal Yadav	BDO, Meskaur	Meskaur Block Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 06.06.2023
By Order,
(Sd.) Illegible, Secretary to Commissioner.

———

The 16th June 2023

No. XI-K-रा0-03/2023–2539—In the light of proposal received from District Magistrate, Arwal vide letter no.- 80, dated- 30.05.2023 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
1	Sri Ajmat Ali Ansari	CO, Arwal	Circle Arwal Level
2	Ruby Kumari	CO, Kaler	Circle Kaler Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 09.06.2023
By Order,
(Sd.) Illegible, Secretary to Commissioner.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 14—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

————————

No. 722––I Niranjan Rajak S/o Chhatrapati Rajak, R/o Vill- Kalarampur, PO- Kalarampur, Bihar-811211 do hereby solemnly affirm and declare as per Affidavit No. 2033/ 21-04-23 that my name is mentioned wrong in Police Department record as Niranjan Rajak My correct name as per Aadhar No. 8180 7319 3419 and Pan (CWFPK5239J) is Niranjan Kumar and now I will be known as Niranjan Kumar.

Niranjan Rajak.

————————

सं0 723––मैं, शैलेन्द्र कुमार ex no-14463808K, रैंक-N.K, पिता–स्व. श्रीकांत मिश्र, ग्राम–गंगौलिया, पो.–अजिजपुर, थाना–सरैया, जिला–मुजफ्फरपुर का निवासी हूं एवं घोषणा करता हूं कि मेरे सभी कागजातों में मेरा नाम अंग्रेजी अक्षरों में SHAILENDRA KUMAR, दर्ज है, जबकि मेरे आर्मी के पुराने PPO NO s/046168/96 (Army) में मेरा नाम भूलवश SELENDRA KUMAR दर्ज कर दिया गया है। दोनों मेरा ही नाम है एवं मैं भविष्य में सभी कार्यों में SHAILENDRA KUMAR के नाम से जाना जाऊंगा। शपथ सं.–1802 दिनांक 10.05.2023.

शैलेन्द्र कुमार।

No. 723––I, SHAILENDRA Kumar, ex no.-14463808k, Rank-N.K. S/o Late Shrikant Mishra, Permanent R/o Vill- Gangulia, P.O.- Azizpur, Distt.- Muzaffarpur, do I declare that in my all concern document my name is mention in english letter as SHAILENDRA KUMAR but in my old PPO NO-s/046168/96 (Army) My name is wrongly mention as SELENDRA KUMAR, Both name are mine and both are one and the same person and I shall only be known as SHAILENDRA KUMAR for all purpose in my feature. affidavit No.– 1802 Date- 10.05.2023.

SHAILENDRA Kumar.

————————

सं0 724––मै खुशबू कुमारी पिता–अरविन्द प्रसाद, ग्राम+पो०+थाना–घोड़ासहन, जिला–पूर्वी चम्पारण। शपथ पत्र द्वारा सूचित करती हूँ कि Khushbu Kumari गलत नाम है मेरा सही नाम Khushabu Kumari है, शपथ सं०–2011, दिनांक–28.04.2023.

खुशबू कुमारी।

————————

No. 725––I, Barkha Shukla, W/o Arun Kumar Shukla, R/o Hari Tower Apartment Flat No-605 , Budha Colony Patna , P.O- G.P.O. Patna 800001 Bihar, do hereby solemnly affirm and declare as per Aff. No-2212dt. 22-05-23 that my name is written in my Aadhar No 2255 1344 7150 and in my pan as BARKHA SHUKLA and in Matriculation certificate it is BARKHA PANDEY both name belongs to same person from now I will be known as BARKHA SHUKLA from all future purposes.

Barkha Shukla.

No. 733––I, RAJESH MANOHAT S/O Shanti Chand Manohat R/O at C/O Atul Kumar Jain Flat No.- 401 Shree Niwas Budha marg. Post- G.P.O Patna-800001(Bihar) vide affidavit No.- 3857 Date 02/06/23 That in matriculation Certificate and share Certificate my name is Rajesh jain That Now I will be know as Rajesh Manohat in future.

RAJESH MANOHAT.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 14—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 यो03 / मु.क्षे.वि.यो.–1 / 2010(पार्ट–1)––**2841** / यो.वि.

योजना एव विकास विभाग

संकल्प

14 जून 2023

विषयः–**मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3 एवं 8.7 में संशोधन**।

''मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना'' की मार्गदर्शिका में योजनाओं के चयन के सिद्धान्त के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 से प्रति विधान मंडल सदस्य तीन करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की सीमा तक की योजनाओं की अनुशंसा करने का प्रावधान था। विगत दिनों निर्माण सामग्रियों के मूल्य में बढ़ोतरी के कारण विधान मंडल सदस्यों द्वारा प्रतिवर्ष प्रावधानित तीन करोड़ रूपये से विधान मंडल निर्वाचन क्षेत्रों में कार्य कराने में कठिनाई महसूस की जा रही थी।

ठस संदर्भ में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 से प्रति विधानमंडल सदस्य चार करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की सीमा तक योजनाओं की अनुशंसा करने के प्रस्ताव पर, सम्यक विचारोपरांत, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका की कंडिका 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3 एवं 8.7 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :–

7.1– इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 से सभी विधान सभा सदस्य प्रति वर्ष चार करोड़ रूपये की सीमा तक योजनाओं की अनुशंसा कर सकेंगे, परन्तु यह कि इस कार्यक्रम के तहत विधानसभा के सदस्य संबंधित विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक सीमा के अधीन ही अपनी योजनाओं की अनुशंसा करेंगे।

7.2– इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 से सभी विधान परिषद् सदस्य प्रति वर्ष चार करोड़ रूपये सीमा तक योजनाओं की अनुशंसा कर सकेंगे।

8.1– इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 से प्रति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र चार करोड़ रूपये प्रति वर्ष का आवंटन देय होगा।

8.2– विधान परिषद् के निर्वाचन क्षेत्रवार वित्तीय वर्ष 2023–24 से चार करोड़ रूपये प्रति वर्ष का आवंटन देय होगा।

8.3– विधान परिषद् के उन निर्वाचित सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र राज्य के कई जिलों में विस्तारित है, उन्हें भी वित्तीय वर्ष 2023–24 से चार करोड़ रूपये प्रतिवर्ष आवंटन देय होगा। उनसे जिलावार प्राप्त अनुशंसा के आलोक में आवंटित राशि का वितरण प्रतिशत निर्धारित किया जायेगा। यदि जिलावार राशि वितरण की अनुशंसा 30 जून तक प्राप्त नहीं हो पाती है, तो निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले जिलों की जनसंख्या के अनुसार राशि विभाजित कर आवंटन दिया जायेगा।

8.7– बिहार विधान परिषद के सदस्य, जो बिहार विधानसभा से निर्वाचित हैं अथवा राज्यपाल द्वारा मनोनीत हैं, वे अधिकतम दो जिला का चयन इस कार्यक्रम के अंतर्गत कर सकेंगे एवं उन्हें भी वित्तीय वर्ष 2023–24 से चार करोड़ रूपये का आवंटन प्रतिवर्ष देय होगा। वे वित्तीय वर्ष के उपरांत चयनित जिलों के स्थान पर अन्य जिलों का चयन कर सकते हैं, परन्तु यह इस शर्त के साथ किया जा सकता है कि जिलों में बदलाव की परिस्थिति में पूर्ववर्त्ती जिलों में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के वित्तीय दायित्व की पूर्ति के उपरांत ही अवशेष राशि अन्य चयनित जिलों में हस्तांतरित की जा सकेगी।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरूनीश चावला, अपर मुख्य सचिव।

सं0 15/नि0को0 सुपौल 02–90/2019–1213(15)/रा0
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प
16 जून 2023

श्री ध्रुव कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज, सुपौल सम्प्रति निलंबित को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावादल द्वारा दिनांक–06.08.2019 को परिवादी श्री सिकन्दर पासवान से ₹15,000/–(पन्द्रह हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से श्री कुमार को न्यायिक हिरासत में शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर भेजा गया। आरोपी के विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0–033/2019, दिनांक–05.08.2019 दर्ज किया गया, जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–1816/अप0शा0, दिनांक–14.08.2019 से विभाग को प्राप्त हुआ। तदोपरान्त विभागीय संकल्प सं0–714(नि0को0), दिनांक–23.10.2019 द्वारा श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 की कंडिका–1 की उप कंडिका–'क' एवं 'ग' तथा कंडिका–2 की उप कंडिका 'क' में अन्तर्निहित प्रावधानों के आलोक में गिरफ्तार किये जाने की तिथि–06.08.2019 के प्रभाव से निलम्बित किया गया। पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना का पत्रांक–2065/अप0शा0, दिनांक–30.09.2019 से अभियोजन स्वीकृति हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में विधि विभाग के पत्रांक–40/जे0, दिनांक–24.04.2020 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

2. जिलाधिकारी, सुपौल के पत्रांक–945–2/स्था0, दिनांक–19.11.2019 द्वारा उक्त निगरानी थाना कांड के अधीन प्राथमिकी दर्ज होने एवं न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के निमित्त विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में अंकित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–177(15), दिनांक–24.01.2020 द्वारा आरोपी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इसी बीच जिलाधिकारी, सुपौल के पत्रांक–02–02/स्था0, दिनांक–03.01.2020 द्वारा श्री कुमार के जमानत पर मुक्त होकर दिनांक–21.12.2019 को जिलाधिकारी का कार्यालय, सुपौल में योगदान दिये जाने की सूचना दी गयी। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–636(15), दिनांक–20.05.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9 (3) (i) के तहत न्यायिक हिरासत से रिहा होने के उपरान्त योगदान करने की तिथि दिनांक–21.12.2019 के प्रभाव से श्री कुमार की निलम्बन समाप्त की गयी। आरोपों की गंभीरता एवं घोर कदाचार की स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9 की कंडिका–1 के उप कंडिका (क), (ग) एवं कंडिका–3 की उप कंडिका–(II) में निहित प्रावधानों के आलोक में उक्त संकल्प द्वारा श्री कुमार को योगदान की तिथि–21.12.2019 से पुनः निलम्बित करते हुए इनका मुख्यालय – आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा निर्धारित किया गया।

3. श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प सं0–641(15), दिनांक–20.05.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, सुपौल को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जिलाधिकारी, सुपौल के ज्ञापांक–518–2/स्था0, दिनांक–02.06.2020 से प्राप्त सूचनानुसार इस विभागीय कार्यवाही में अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

4. अपर समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक–3078–2/रा0, दिनांक–24.12.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित विभाग को उपलब्ध कराया। जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा अपना मंतव्य अंकित किया गया है कि आरोपी कर्मी रंगे हाथ ₹15,000/– (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) रिश्वत लेते हुए निगरानी धावा दल द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनका यह कृत्य सरकारी सेवक के अनुशासनहीनता एवं भ्रष्टाचार के लिप्तता को दर्शाता है। आरोपों के संबंध में आरोपी कर्मी से कारण–पृच्छा की मांग की गयी, लेकिन उनके द्वारा सूचना प्राप्त करने के बावजूद भी कारण–पृच्छा समर्पित नहीं किया गया। उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य प्रतिवेदन एवं अभिलेख के अवलोकनोपरान्त आरोपी श्री कुमार के विरूद्ध रिश्वत मांगने संबंधी परिवाद पत्र के पश्चात् निगरानी धावा दल द्वारा की गयी कार्रवाई नियमानुकूल है, जिससे आरोप प्रमाणित होता है। आरोपी कर्मी कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही तथा भ्रष्टाचार से जुड़े मामलें में दोषी पाये गये है। इनके द्वारा आरोप के संबंध में कोई उचित कारण–पृच्छा समर्पित नहीं किया गया। आरोपी द्वारा दिनांक–11.12.2020 को एक आवेदन देकर बताया गया कि वर्णित मामला एक अपराधिक मामला है, जिसका विचार माननीय न्यायालय में चल रही है। इसलिए अलग से विभागीय कार्यवाही नहीं चलायी जा सकती है, किन्तु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2324, दिनांक–10.07.2007 में स्पष्ट निदेश है कि दोनों कार्यवाही साथ–साथ चलायी जानी है, जिस कारण इनका आपत्ति निराधार है। संचालन पदाधिकारी द्वारा निष्कर्षतः आरोप पत्र में गठित आरोपों को प्रमाणित बताया गया।

5. जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक–174(14), दिनांक–02.03.2022 से द्वितीय कारण–पृच्छा/ अभ्यावेदन की मांग आरोपी से की गयी। आरोपी द्वारा अपना द्वितीय कारण–पृच्छा/अभ्यावेदन दिनांक–21.09.2022 को विभाग में समर्पित किया गया है। समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा/अभ्यावेदन में आरोप पत्र में अंकित आरोप सं0–1, 2 एवं 3 को विभागीय कार्यवाही के दौरान अभियोजन द्वारा नियमानुसार प्रमाणित/स्थापित नहीं किया जाना अंकित

किया गया, साथ ही आरोप सं0–04 को भी स्थापित/प्रमाणित नहीं होने का उल्लेख करते हुए आरोपों से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

6. श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन (द्वितीय कारण–पृच्छा) के समीक्षोपरान्त पाया गया की इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया तथा इनके पास से रिश्वत की राशि ₹15,000/– (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) बरामद हुई है तथा आरोपी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 के महत्वपूर्ण घटक रिश्वत माँगने, ग्रहण करने एवं बरामद होने का साक्ष्य प्रमाणित पाया गया है। आरोप अत्यन्त गंभीर एवं प्रमाणित है। आरोपी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में ऐसा कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है, जो संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में नहीं विचार किया हो।

7. सम्यक् विचारोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध **सरकारी सेवा से बर्खास्तगी**, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड विनिश्चित किया गया।

8. श्री ध्रुव कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज, सुपौल सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड ''**सरकारी सेवा से बर्खास्तगी**, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी'' संबंधी संलेख विभागीय ज्ञापांक–1018(15), दिनांक–23.05.2023 द्वारा मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु भेजा गया। मंत्रिपरिषद् की दिनांक 30.05.2023 को सम्पन्न बैठक में मद सं0–05 के रूप में इसे सम्मिलित करते हुए उक्त संलेख में निहित दण्ड प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

9. उक्त स्वीकृति के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (xi) के प्रावधानों के तहत श्री ध्रुव कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज, सुपौल सम्प्रति निलम्बित मुख्यालय – आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा को **''सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी'',** का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

श्री ध्रुव कुमार से संबंधित ब्यौरे निम्नवत् हैः–

1. नाम	:– श्री ध्रुव कुमार
2. पिता का नाम	:– स्व0 मोहन मंडल
2. पदनाम	:– तत्कालीन अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज, सुपौल सम्प्रति निलंबित मुख्यालय – प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।
3. जन्म तिथि	:– 12.05.1964
4. सेवानिवृति की तिथि	:– 31.05.2024
5. स्थाई पता	:– ग्राम–सपाहा, पो0–नया नंद गोला, थाना–टीका पट्टी, जिला–पूर्णियाँ पिन–854101

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार, निदेशक, भू–अर्जन–सह–अपर सचिव।

सं0 08/आरोप–01–04/2020,सा०प्र०–6805
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
10 अप्रील 2023

श्री शैलेश कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–839/11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम, पटना के पदस्थापन काल वर्ष–2019 में पटना जल जमाव पर गठित जाँच समिति से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–734 दिनांक 10.02.2020 द्वारा निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2372 दिनांक 14.02.2020 द्वारा श्री कुमार को निलंबित किया गया तथा विभागीय पत्रांक–2656 दिनांक 19.02.2020 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग से आरोप पत्र की माँग की गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–1618 दिनांक 06.05.2020 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया।

नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त आरोप पत्र को पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोंपरांत विभागीय पत्रांक–4603 दिनांक 11.05.2020 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त क्रम में श्री कुमार का स्पष्टीकरण (दिनांक 26.05.2020) प्राप्त हुआ, जिसमें इनके द्वारा आरोपों से इन्कार करते हुए स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उक्त समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6591 दिनांक 06.07.2020 द्वारा आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

जाँच आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के पत्रांक–108 दिनांक 09.02.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें जाँच एवं विश्लेषण के आधार पर आरोपित पदाधिकारी श्री शैलेश कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–839/11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम, पटना के विरूद्ध लगाये आरोप विशिष्ट तथ्यों एवं साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं होने का अन्तिम निष्कर्ष संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को विशिष्ट तथ्यों एवं साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं होने का अन्तिम निष्कर्ष दिया गया है। अतएव श्री शैलेश कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–839/11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम, पटना के विरूद्ध प्रतिवेदित उक्त मामले को संचिकास्त किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मो0 सिराजुद्दीन अंसारी, अवर सचिव।

———

सं0 08/आरोप–01–04/2020,सा०प्र०–9099
सामान्य प्रशासन विभाग

———

संकल्प
15 मई 2023

वर्ष–2019 में पटना जल जमाव पर गठित समिति का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने से संबंधित दोषी पदाधिकारी श्री शैलेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–839/11, कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम, पटना को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का अनुरोध नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–734 दिनांक 10.02.2020 द्वारा किया गया। उक्त क्रम में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2372 दिनांक 14.02.2020 द्वारा श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक–6591 दिनांक 06.07.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। कालान्तर में संकल्प ज्ञापांक–4369 दिनांक 01.04.2021 द्वारा श्री कुमार को निलंबन मुक्त करते हुए निलंबन अवधि के वेतनादि का भुगतान विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के पश्चात करने का निर्णय लिया गया।

जाँच आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के पत्रांक–108 दिनांक 09.02.2023 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होने का अन्तिम निष्कर्ष संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया। तदुपरांत श्री कुमार के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के आलोक में सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6805 दिनांक 10.04.2023 द्वारा मामले को संचिकास्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया। श्री कुमार द्वारा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने एवं मामला संचिकास्त होने के आलोक में निलंबन अवधि दिनांक 14.02.2020 से 31.03.2021 तक का वेतनादि भुगतान करने का अनुरोध किया गया।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री शैलेश कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–839/2011, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम, पटना सम्प्रति उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के निलंबन अवधि (दिनांक 14.02.2020 से 31.03.2021) को कर्त्तव्य अवधि मानते हुए पूर्ण वेतनादि भुगतान करने का निर्णय लिया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
किशोर कुमार प्रसाद, संयुक्त सचिव।

———

सं0 08/आरोप–01–07/2018, सा०प्र०–9125
सामान्य प्रशासन विभाग

———

संकल्प
15 मई 2023

श्री विजय कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–434/11, तत्कालीन नगर आयुक्त, गया नगर निगम, गया (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध हाईड्रोलिक टेलर, रिक्शा ठेला, डी सिल्टिंग मशीन, कॉम्पैक्टर, बायो टॉयलेट एवं ई टॉयलेट के क्रय में अनियमितता बरतने एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन नहीं करने संबंधी आरोपों के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–1762 दिनांक 19.05.2020 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ। उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–6849 दिनांक 27.07.2020 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं त्रि–स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1470 दिनांक 03.02.2021 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जाँच बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी०) के तहत कराने हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। मुख्य जाँच आयुक्त द्वारा इस मामले के अग्रत्तर संचालन हेतु सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग–सह–जाँच आयुक्त को हस्तांतरित किया गया।

2. प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग–सह–जाँच आयुक्त के पत्रांक–01 दिनांक 02.02.2022 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत मामले की पुनः जाँच कराने का निर्णय लिया गया तथा विभागीय पत्रांक–5135 दिनांक 04.04.2022 द्वारा प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग–सह–जाँच आयुक्त को जाँच प्रतिवेदन वापस करते हुए मामले की गहनता से पुनः जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग–सह–जाँच आयुक्त के पत्रांक–48 दिनांक 24.05.2022 द्वारा सूचित किया गया कि विषयांकित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन गहनता से जाँच के उपरांत पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है। अनुशासनिक प्राधिकार की समीक्षा में किसी नये बिन्दु पर जाँच हेतु तथ्य नहीं दिया गया है, जिसपर पुनः जाँच की जाय। विभागीय पत्रांक–11979 दिनांक 15.07.2022 द्वारा संचालन पदाधिकारी से पुनः जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी।

प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग–सह–जाँच आयुक्त के पत्रांक–137 दिनांक 06.09.'2022 द्वारा संशोधित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया।

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा व्यक्त की गयी असहमति के आलोक में विभागीय पत्रांक–21096 दिनांक 28.11.2022 द्वारा असहमति के बिन्दु पर श्री कुमार से लिखित अभिकथन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार का लिखित अभिकथन दिनांक 19.12.2022 प्राप्त हुआ। श्री कुमार द्वारा अपने लिखित अभिकथन में स्वयं स्वीकार किया गया कि निविदा समिति के द्वारा यदि भूलवश त्रुटि भी हुई है, तो इसके लिए मुझे सीधे तौर पर जबावदेह ठहराया नहीं जा सकता है।

3. श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, त्रि–सदस्यीय जाँच समिति से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा असहमति के बिन्दु पर समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि उनके द्वारा दिया गया लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं है। अतएव बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी०) के तहत श्री कुमार के विरूद्ध 05 (पाँच) प्रतिशत पेंशन की राशि कटौती 02 वर्षो तक करने का दंड विनिश्चित किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव"05 (पाँच) प्रतिशत पेंशन की राशि कटौती 02 वर्षो तक करने" पर विभागीय पत्रांक–3563 दिनांक 21.02.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति/परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग की दिनांक 05.04.2023 को आहूत पूर्ण पीठ की बैठक में श्री कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित उक्त दंड प्रस्ताव (यथा पेंशन से 05 प्रतिशत राशि की कटौती दो वर्षो तक करने) पर सहमति व्यक्त किया गया। उक्त परामर्श/सहमति बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–393 दिनांक 25.04.2023 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन में स्वयं स्वीकार किया गया है कि निविदा समिति के द्वारा यदि भूलवश त्रुटि भी हुई है तो इसके लिए मुझे सीधे तौर पर जबावदेह ठहराया नहीं जा सकता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री कुमार का लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं है। अतएव बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी०) के प्रावधानों के तहत श्री कुमार के **"पेंशन से 05 (पाँच) प्रतिशत राशि की कटौती दो वर्षो तक करने"** का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
किशोर कुमार प्रसाद, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 14—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in